मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013-चैत्र 29, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Anand Mishra S/o Sh. Lallan Mishra, Resident of G-6/3, 66 line, 23 Batalian, Bhopal M. P. here by declare that my daughter's name is registered wrong in my service records as Akanksha Mishra, henceforth for all purposes she would be known with her name Aanya Mishra.

Anand Mishra,
Address : G-6/3, 66 line, 23 Batalian,
Bhadbhda Road, Bhopal (M. P.).

(11-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स सागर लीला बिल्डकॉन, पता—यू.-जी.-22-25, बी.सी.एम. हाईट्स, पी.यू.-4, प्लाट नं. ए-5, स्कीम नं. 54, इन्दौर (म. प्र.) फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. इसमें पूर्व में दो साझेदार थे.

1. श्री भगवान जायसवाल
2. श्री किशोर कुमार सचदेव

दिनांक 1 जुलाई, 2012 से सम्मिलित होने वाले नये साझेदार श्री श्रवण कुमार बनेजा पिता श्री माणिकमल बनेजा हैं. किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

For Sagar Leela Buildcon.
किशोर कुमार सचदेव,
(भागीदार)

(10-बी.)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत

1. सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रामगोपाल चिरंजीलाल साझेदारी फर्म में दिनांक 1-4-2012 से फर्म में श्री निमेष गोयनका एवं श्री निशित गोयनका को भागीदारी में सम्मिलित कर नया अनुबंध कर लिया है जो दिनांक 1-4-2012 से प्रभावशील है.

2. फर्म का पता 16, महारानी रोड, इन्दौर से बदलकर 213, जवाहर मार्ग, इन्दौर हो गया है.

For Ramgopal Chiranjilal
अनिल गोयनका,
पार्टनर.

(12-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन पोद्दार कॉलोनी, तहसील व जिला सागर (म. प्र.) के द्वारा ठेकेदारी व सप्लाई शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालयों में व व्यक्तिगत कार्य किया जाता है, वर्तमान में कार्यरत भागीदारी फर्म है. श्री जितेन्द्र तिवारी आत्मज श्री आर. के. तिवारी अपनी स्वेच्छा से व पूर्ण सहमति से फर्म से पृथक हो गये हैं. फर्म में इनका कोई भी लेना-देना नहीं है व दिनांक 6-3-2013 से उक्त पार्टनर को अलग कर दिया है व इनके नाम से कोई भी लेन-देन नहीं है. उक्त पार्टनर का फर्म में किसी प्रकार का अधिकार व हस्तक्षेप नहीं होगा. फर्म में एक नये पार्टनर श्री नितेन्द्र तिवारी आत्मज श्री आर. के. तिवारी, पोद्दार कालोनी, सागर सम्मिलित हुए हैं. इनको फर्म के वो पूर्ण अधिकार होंगे जो एक पार्टनर को होते हैं. यह सूचना जनहित में शासकीय अर्द्धशासकीय विभिन्न संस्थाओं व्यक्तिगत व्यक्तियों व संबंधित के सूचना प्रकाशित की जा रही है. नितेन्द्र तिवारी एवं बैंकट मिश्रा फर्म को संचालन करेंगे.

मेसर्स श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन,
बैंकट शरण मिश्रा,
पार्टनर,
पोद्दार कालोनी, सागर.

(13-बी.)

साझेदार बदले

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म रनवे इन्फ्रास्ट्रैक्चर सिसोदिया कॉलोनी, गुना में क्रमशः 5 भागीदार श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री टीकाराम गुप्ता, श्री टीकाराम गुप्ता पुत्र श्री गनेशप्रसाद गुप्ता, श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद गुप्ता 28 वर्ष निवासी सिसोदिया कॉलोनी, गुना, श्रीमती सीमू गुप्ता पुत्री श्री कैलाशचंद रूसिया एवं श्रीमती महादेवी गुप्ता पुत्री श्री हरिदास गुप्ता कुल पांच भागीदार दिनांक 31-3-2009 तक थे. इन पाँचों भागीदारों में से श्री अमित गुप्ता द्वारा अपने व्यवसायिक कारणों व आपसी तालमेल के अभाव में फर्म से अपनी भागीदारी पृथक कर ली है. दिनांक 1-04-2009 से फर्म रनवे इन्फ्रास्ट्रैक्चर ने पांचवे और नये भागीदार के रूप में श्रीमती प्रेमा रूसिया पुत्री श्री बाबूलाल सुहाने आयु लगभग 60 वर्ष निवासी सिसोदिया कॉलोनी, गुना को शामिल किया गया है. इस तरह फर्म ने पूर्व की भांति कुल पांच ही भागीदार हैं. श्री अमित गुप्ता के स्थान पर नये भागीदार श्रीमती प्रेमा रूसिया शामिल हो गई हैं.

For Runway Infrastructure, Guna.
(राजेश गुप्ता,)
पार्टनर.

(14-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे **ANUMOL THOMAS** के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अब मुझे **ANU MELBIN** के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(ANUMOL THOMAS)

नया नाम :
ANU MELBIN
फ्लैट नं.-2, ROYAL HOMES
OPP. B.M.H.R.C., NEAR MITTAL COLLEGE,
KAROND, BHOPAL (M. P.).

(15-बी.)

पता परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स बिजनेस ब्रिज्स पंजीकृत पता—एस. बी. 17/18, मानसरोवर कमर्शियल कॉम्पलेक्स, एन.एच. 12, होशंगाबाद रोड, भोपाल पर पंजीकृत है तथा इसी पते से संचालित हो रही है. अब उक्त फर्म पुराने पते के स्थान पर नये पते —फ्लैट नं. 401/ए-5, हाईराईज अपार्टमेंट, आकृति इको सिटी, ई-8 एक्सटेंशन, बावड़िया कलां, भोपाल से संचालित होगी.

For Business Bridges.
अर्चना त्रिपाठी,
Partner.

(16-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व का नाम दिनी (DINI) से परिवर्तित होकर मेरी पुत्री का नया नाम उपनाम सहित दियाना कस्तूरी (DIYANA KASTURI) हो गया है. अतः अब मेरी पुत्री को नये नाम उपनाम सहित दियाना कस्तूरी (DIYANA KASTURI) से जाना एवं पहचाना जाये.

BRIJESH KASTURI,
302, YASHRAJ RESIDENCY,
10/1 MANORAMA GANJ, INDORE (M.P.).

(17-बी.).

आवश्यक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. गोपाल इंटरप्राईजेज मेन रोड, सिंगरौली, मध्यप्रदेश, 1 अप्रैल, 2001 (संशोधित 1 अप्रैल, 2006) से भागीदारी फर्म के रूप में कोल ट्रांसपोर्ट एवं सिविल वर्क ठेका कार्य कर रही थी. यह की उक्त फर्म में 28 फरवरी, 2013 से नयी भागीदारी (डीड) लेख के अनुसार भागीदारों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्र.	कन्टीन्यूयिंग भागीदार	भागीदारी में सम्मिलित किये गये	भागीदारी से पृथक होने वाले भागीदार
1.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	श्रीमती श्वेता गुप्ता	श्री गोपाल अग्रहरी
2.	श्रीमती राधिका गुप्ता	सरला अग्रहरी	श्रीमती श्वेता अग्रहरी
3.	श्री गोविन्द अग्रहरी		श्री श्याम सुन्दर अग्रहरी

यह कि बाहर निकलने वाले भागीदार स्वयं भागीदारी से मुक्त हो रहे हैं एवं श्रीमती श्वेता गुप्ता एवं सरला अग्रहरी दोनों को भागीदारी में सम्मिलित किया जा रहा है. इस प्रकार 28 फरवरी, 2013 से भागीदारों की संख्या कुल 5 (पांच) हो गयी है.

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार गुप्ता,
(भागीदार)
वास्ते—मे. गोपाल इंटरप्राईजेज,
मेन रोड, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

(04-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

संशोधन क्रमांक-1

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्र. 4/एम.मी.डब्ल्यू.एस.आर.पी./2012-13 दिनांक 13-3-13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.—

01. कार्य की लागत रु. 8.56 लाख के स्थान पर रु. 8.30 लाख एवं निविदा की प्रतिभूति राशि रु. 17120.00 के स्थान पर रु. 16600.00 पढ़ा जावे.

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

सी. एल. गर्ग,
कार्यपालन यंत्री,
(204) बांध सुरक्षा संभाग, ग्वालियर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास

देवास, दिनांक 26 फरवरी, 2013

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/ /रीडर-1/13.—मुख्य प्रबंध ट्रस्टी अध्यक्ष श्री राम देशमुख पिता अमृतराव देशमुख, निवासी देवास द्वारा इस न्यायालय में "क्षत्रीय लोन्हारी कुनबी समाज ट्रस्ट, देवास" के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र, उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूप रेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अत: "क्षत्रीय लोन्हारी कुनबी समाज ट्रस्ट, देवास" के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 28 मार्च, 2013 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 26 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

प्रभात काबरा,
(201) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"माता रामकौर मेमोरियल जनकल्यानिक ट्रस्ट" कार्यालय ए. डी. 306, स्कीम नम्बर 74-सी, विजय नगर, इन्दौर की ओर से श्रीमती गुरवीन कौर भाटिया पति श्री हरमिन्दर सिंह भाटिया, निवासी ए. डी. 306, स्कीम नम्बर 74-सी, विजय नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''माता रामकौर मेमोरियल जनकल्यानिक ट्रस्ट''.
पता	:	ए. डी. 306, स्कीम नम्बर 74-सी, विजय नगर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक 21 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(202)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

मण्डलेश्वर, दिनांक 26 मार्च, 2013

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/ 2012-13.

फॉर्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक श्री तुलसीराम पिता गंगाराम पंवार, निवासी बडदिया सुर्ता न्यास मंत्री द्वारा गंगेश्वर नर्मदा मानस सेवा संस्थान (धार्मिक पारमार्थिक न्यास) बाल हनुमान मंदिर आश्रम, ग्राम धुवाटिया, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है. यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के सम्बंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का नाम	:	गंगेश्वर नर्मदा मानस सेवा संस्थान (धार्मिक पारमार्थिक न्यास).
2.	न्यास का पता	:	बाल हनुमान मंदिर आश्रम, ग्राम धुवाटिया, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.
3.	चल सम्पत्ति	:	5,000/- रुपये.
4.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक

यह सूचना आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. बालोदिया,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(203)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना

प्रकरण 2/बी-113/2012-2013. **प्रारूप क्र.-4**

[देखिये नियम-7 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना-गुना, जिला गुना के समक्ष.

यत: कि न्यासधारी श्री परमाल सिंह जी रघुवंशी आत्मज श्री समरथ सिंह रघुवंशी, निवासी बांसखेडी गुना, जिला गुना, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि, कथित आवेदन पर 5 जनवरी, 2013 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	स्व. नाथूलाल मंत्री जनकल्याण न्यास, गुना, केशव स्मृति भवन, प्रताप छात्रावास गुना, तहसील व जिला गुना.
चल सम्पत्ति	:	न्यास के पास वर्तमान में वाचनालय तथा फर्नीचर एवं सामान जिसकी कीमत करीबन 45 हजार रुपये होगी.
अचल सम्पत्ति	:	न्यास के पास शहर गुना में प्रताप छात्रावास के पास, केशव स्मृति भवन है, भवन जिसका क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है.

यह ट्रस्ट हिन्दू समाज में संस्कृति एवं शिक्षा स्तर की पुनर्स्थापना एवं शिक्षा के माध्यम से विकास के लिये भारतीय संस्कृति परम्परा के अनुरूप कार्य कर शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शिक्षा देने हेतु विद्यालय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, विज्ञान टैक्नालॉजी एवं चिकित्सा आदि क्षेत्रों के अनेक विकल्पों के माध्यम से हिन्दु समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु न्यास द्वारा कार्य प्रगति की ओर अग्रसर होने हेतु प्रयास करना.

टी. एन. सिंह,

(191) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

प्र. क्र. ...../बी-113(4)/2012-13.

नीमच, दिनांक 6 मार्च, 2013

प्रारूप-4

[नियम 5 देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा-2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, नीमच के समक्ष,

क्र. 757/रीडर-1/2013.—चूंकि आवेदक श्री जिनकुशल सूरी खरतरगच्छ जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, नीमचकेंट की ओर से एकता ट्रस्ट ऑफ

एज्यूकेशन, नीमच के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को विचार के लिये लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, अनिल पटवा, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच अपने न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा अचल, चल सम्पत्ति का विवरण

न्यास का नाम	..	श्री जिनकुशल सूरी, खरतरगच्छ जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, नीमच.
अचल सम्पत्ति का विवरण	..	निरंक.
चल सम्पत्ति का विवरण	..	रुपये 5,000/- चल संपत्ति, नसीराबाद, नीमच रोड पर स्थित ग्वालटोली व गांधीनगर के मध्य दादावाड़ी जो श्री जिनकुशल सूरी खरतरगच्छ दादावाड़ी नीमचकेंट व आसपास की रिक्त भूमि है.

अनिल पटवा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(192)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13. खण्डवा, दिनांक 5 मार्च, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि-आवेदक पंडित शरद दुबे, निवासी जोशीनगर खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा द्वारा सिद्धेश्वर परमार्थ न्यास, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री सिद्धेश्वर परमार्थ न्यास, खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	1. निरंक.
अचल सम्पत्ति	:	1. निरंक.

(193)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13. खण्डवा, दिनांक 5 मार्च, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि-आवेदक सज्जनसिंह पिता दरियावसिंह, निवासी ग्राम करोली, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा द्वारा श्री सिद्धीविनायक हथिया बाबा आश्रम, ट्रस्ट सनावद, पुनासा मार्ग, तहसील खण्डवा पुनासा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री सिद्धीविनायक हाथिया बाबा आश्रम, सनावद, पुनासा मार्ग, करोली, तहसील पुनासा.
चल सम्पत्ति	:	1. रुपये 5,000/- नगद, स्पीकर सेट आहूजा कम्पनी का, 2. विद्युत इनवेटर, 3. गोदरेज की अलमारी एक, 4. लकड़ी का तखत, 5. टी. वी. इगो कम्पनी का, स्टील के बर्तन छोटे-बड़े नग 50, 6. गैस टंकी छोटी एक एवं गैस चूल्हा, 7. गैस टंकी बड़ी एक.
अचल सम्पत्ति	:	1. श्री सिद्धीविनायक हथिया बाबा मंदिर 1, 10 बाई 12 पक्का आर.सी.सी. का, 2. दर्शनार्थियों के बैठने का खुला भाग 12 बाई 15 पक्का आर.सी.सी. का, 3. मंदिर के पुजारी का निवास क्षेत्रफल 12 बाई 10 पक्का आर. सी. सी. का, 4. मंदिर के पुजारी हेतु किचन शेड टीन का, 5. पीने की पानी की टंकी 8 बाई 8 की पक्की आर.सी.सी. की, 6. न्यास का कार्यालय 10 बाई 12 पक्का आर.सी.सी. का.

(193-A)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13. खण्डवा, दिनांक 18 मार्च, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि-आवेदक संतोष पिता फत्तूलाल पालीवाल वर्कींग ट्रस्टी, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	सेठ फत्तूलाल पिता गिरधारीलाल पालीवाल, पारमार्थिक ट्रस्ट महाराष्ट्र बैंक के पास, आगरकर मार्ग, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	1. 25,000/- रु. बैंक में जमा.
अचल सम्पत्ति	:	1. निरंक.

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(193-B)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

राजस्व प्रकरण क्र. 1/बी-113/1/12-13.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि आशीष जैन (लालू) पिता स्व. विजय कुमार जैन, निवासी 125, संगम कॉलोनी, जबलपुर (अध्यक्ष) द्वारा "श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट" संगम कॉलोनी, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, लोक न्यास की संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम :— "श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट", संगम कॉलोनी, जबलपुर.
2. चल सम्पत्ति का विवरण :— यूको बैंक सिटी जवाहरगंज, जबलपुर खाता नं. 0185110017819 में जमा रुपये 23,25,529.00 (अंकन तेईस लाख पच्चीस हजार पांच सौ उन्नतीस).
   मंदिर के पूजन के बर्तन, मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों में लगने वाली सामग्री, शास्त्र एवं धार्मिक पुस्तकें वगैरहा, पूजा एवं पूजन का वस्तु.
3. अचल सम्पत्ति का विवरण :—
   1. भू-खण्ड स्थित मौजा लक्ष्मीपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्पलाईज को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के भूखण्ड क्र. 20, 26 ,27 का कुल रकबा 5104 वर्गफुट चेरीताल वार्ड, जबलपुर बैनामा दिनांक 31-1-1998.
   2. प्लाट मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 खसरा नम्बर 313, 314, 316, 317, 318 एवं 322 का भाग कुल रकबा 2400 वर्गफुट चेरीताल बैनामा दिनांक 17-1-2001.
   3. प्लाट मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 खसरा नम्बर 313, रकबा 2400 वर्गफुट, पुराना वार्ड, चेरीताल तथा विवेकानंद वार्ड, जबलपुर बैनामा दिनांक 21-6-2001.

4. प्लाट मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 प्लाट नं. 21 खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317, 318 एवं 322 का भाग बैनामा दिनांक 25-11-2002.

5. मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 ले आउट प्लाट नं. 21 खसरा नम्बर 313, 314, 315, 316, 317, 318 एवं 322 का भाग रकबा 1620 वर्गफुट चेरीताल वार्ड, जबलपुर बैनामा दिनांक 2-12-2002.

6. मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 प्लाट नं. 22 एवं 23 का भाग खसरा नम्बर 314 कुल रकबा 700 वर्गफुट, नगर निगम मकान नम्बर 1245/226, चेरीताल वार्ड, जबलपुर बैनामा दिनांक 23-3-2004.

7. मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 खसरा नम्बर 314/1 एरिया 900 वर्गफुट, चेरीताल जबलपुर बैनामा दिनांक 22-9-2008.

8. मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प.ह.नं. 25 खसरा नम्बर 313/2 जी कुल रकबा 2250 वर्गफुट में निर्मित रकबा 1000 वर्गफुट नगर निगम म. नं. 1601/1 चेरीताल वार्ड, संगम कॉलोनी, जबलपुर बैनामा दिनांक 19-10-2011.

9. अपंजीकृत दान पत्र द्वारा श्रीमती शांति बाई सेन पत्नि श्री निर्मल कुमार सेन निवासी 113, लार्डगंज, जबलपुर भूमि मौजा ग्राम लक्ष्मीपुर न. ब. 643 प. ह .न. 25 ले आउट भू-खण्ड क्र. 27 एवं 27 ए के मध्य स्थित रकबा 1235 वर्गफुट दान पत्र दिनांक 27-8-1992.

संजय जैन,

(194) पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वन मण्डल, सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 1 अप्रैल, 2013

क्र./मा.चि./103.-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी, चितरंगी परिक्षेत्र कार्यालय को कार्यालय के चालान क्रमांक 211, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 के द्वारा आर. डी. एफ. कूप नं. III मोहगड़ी कक्ष क्रमांक आर-35 रकवा 50 हे. वर्ष 2011-12 के लिये हैमर प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी चितरंगी ने पत्र क्रमांक 1014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि वनरक्षक श्री धनेश प्रसाद द्विवेदी, बीट गार्ड अमरापान ने दिनांक 20 अगस्त, 2012 को बीट भ्रमण के दौरान थैले से उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है जिसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी, चितरंगी में दर्ज करा दी गई है एवं हैमर खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टाक रजिस्टर के अभिलेख में अपलेखित किया जाता है.

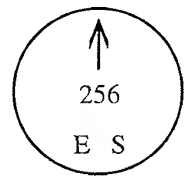

उक्त हैमर की कीमत रु. 150.00 (एक सौ पचास रुपये मात्र) श्री धनेश प्रसाद द्विवेदी वनरक्षक, बीट गार्ड अमरापान से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है. उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाना/पुलिस चौकी या कार्यालय वनमण्डल, सिंगरौली में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के पश्चात यदि कोई उक्त हैमर को गुम दिनांक के अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग लाते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. सिंह,

(200) वनमण्डल अधिकारी.

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर/भिण्ड

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां करने हेतु सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अम्बाह निवेश क्षेत्र (जिला मुरैना) के लिए भूमि उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति.—

1. कलेक्टर मुरैना
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भिण्ड
3. नगर पालिका, अम्बाह

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है. यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के भिण्ड कार्यालय अथवा नगर पालिका, अम्बाह में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

स्थान : ग्वालियर.
दिनांक 12 अप्रैल, 2013

वी. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक.
वास्ते-सहायक संचालक.

(205)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/84.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., बिजनीपुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 697, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., बिजनीपुरा, पंजीयन क्रमांक 697, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/85.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/192, दिनांक 16 फरवरी, 2012 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साकोन्या, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 10 जनवरी, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1089, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री आर. एस. भील, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साकोन्या, पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 10 जनवरी, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-A)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/86.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 1 मई, 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकावद, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 800, दिनांक 24 जनवरी, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1089, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री आर. एस. भील, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकावद, पंजीयन क्रमांक 800, दिनांक 24 जनवरी, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-B)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/87.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या भोती, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 20 सितम्बर, 2012 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या भोती, पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-C)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/88.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., उमरथाना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 701, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., उमरथाना, पंजीयन क्रमांक 701, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-D)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/89.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., पीपल्या खुशाल, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपल्या खुशाल, पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-E)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/90.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., कुसुमपुरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., कुसुमपुरा, पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 20 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-F)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/91.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., आमासेर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1203, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री जगदीश सिंह, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., आमासेर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(196-G)

गुना, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/92.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 1 मई, 2002 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर कॉलोनी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 3 अगस्त, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 1 मई, 2002 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर कॉलोनी, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 3 अगस्त, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश कुमार तिवारी,

(196-H) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धुआखेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 06 मई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2185, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धुआखेडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. सी. शर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बूचाखेडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 892, दिनांक 22 सितम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2178, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बूचाखेडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निशाना जिसका पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2173, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निशाना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धामन्दा, जिसका पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 28 दिसम्बर, 1989 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2177, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धामन्दा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदनखेडी, जिसका पंजीयन क्रमांक 882, दिनांक 27 जुलाई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2176, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदनखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आसारेटा पवार, जिसका पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 19 सितम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2174, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आसारेटा पवार को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदनखेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 882, दिनांक 27 जुलाई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2176, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदनखेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. शर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरेड, जिसका पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 30 नवम्बर, 2001 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 21, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरेड को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-G)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लखनवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 09 मई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2184, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लखनवास को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-H)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदापुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1053, दिनांक 5 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 21, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदापुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशेरपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2182, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशेरपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नादनपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2181, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नादनपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगाहोनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2180, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंगाहोनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गादिया स्कूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 17 जनवरी, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2179, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गादिया स्कूल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(197-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरिया खेडी स्कूल, जिसका पंजीयन क्रमांक 904, दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 2175, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरिया खेडी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एल. वर्मा, पर्यवेक्षक केम्प, नरसिंहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. एल. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(197-N)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/383.—नगरपालिका कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 15 जनवरी, 1964 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1538, दिनांक 15 जून, 1994 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक कु. विमला सोनी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 15 जनवरी, 1964 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198)

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. /परि./2013/384.—श्री गणेश महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., छिरारी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 8 जुलाई, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1575, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., छिरारी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 8 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198-A)

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. /परि./2013/385—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रोन, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 988, दिनांक 7 दिसम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1590, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रोन, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 988, दिनांक 7 दिसम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198-B)

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/386—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उमरा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 28 जून, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1572, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (म. प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., उमरा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 855, दिनांक 28 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198-C)

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/387.—संजयगांधी चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजोरा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 27 नवम्बर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2807, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संजयगांधी चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजोरा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 27 नवम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198-D)

सागर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. /परि./2013/388.—प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1357, दिनांक 18 जुलाई, 2002 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अनिल कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

(198-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./369, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहयक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./369, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199)

विदिशा, दिनांक 7 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/565, विदिशा, दिनांक 16 मई, 2006 से रूपाली बहुउद्देशीय अ. जा. महिला सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, वार्ड क्रमांक-9, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी. एस./603, दिनांक 21 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड कुरवाई को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा रूपाली बहुउद्देशीय अ. जा. महिला सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, वार्ड क्रमांक-9, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रूपाली बहुउद्देशीय अ. जा. महिला सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, वार्ड क्रमांक-9, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./603, दिनांक 21 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199-A)

विदिशा, दिनांक 7 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) व 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./09/1121, विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा धन्नू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के समापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के सदस्यों के हित में है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्ति का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा धन्नू, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही.डी.एस./666, दिनांक 22 अगस्त, 2003 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थाई रूप से नामांकित की जाती है.—

1.	श्रीमती कैलाश बाई	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती अल्फा बाई	संचालक
4.	श्रीमती कृपा बाई	संचालक
5.	श्रीमती पंखा बाई	संचालक
6.	श्रीमती श्याम बाई	संचालक
7.	श्रीमती शान्ति बाई	संचालक
8.	श्रीमती शान्ता बाई	संचालक
9.	श्रीमती भुरिया बाई	संचालक

संस्था के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न कराये.

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(199-B)

विदिशा, दिनांक 8 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/394, विदिशा, दिनांक 27 मार्च, 2006 से संजय गांधी श्रमिक खनिज कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, विशलोनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./296, दिनांक 23 जनवरी, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड कुरवाई को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा संजय गांधी श्रमिक खनिज कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, विशलोनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संजय गांधी श्रमिक खनिज कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, विशलोनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./296, दिनांक 23 जनवरी, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 8 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199-C)

विदिशा, दिनांक 12 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./319, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मूडरा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./319, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199-D)

विदिशा, दिनांक 12 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/53, विदिशा, दिनांक 20 जनवरी, 2006 से स्टोन क्रेशर प्राथमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बहिरयाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./413, दिनांक 1 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा स्टोन क्रेशर प्राथमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बहिरयाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्टोन क्रेशर प्राथमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बहिरयाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./413, दिनांक 1 जनवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199-E)

विदिशा, दिनांक 12 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./294, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल अहिरवार, उप-अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./294, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199-F)

विदिशा, दिनांक 12 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/448, विदिशा, दिनांक 7 अप्रैल, 2006 से हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, बरवाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./259, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, बरवाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन आदिवासी कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, बरवाई, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./259, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(199-G)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013-चैत्र 29, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 2 जनवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, मण्डला, डिण्डोरी को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 01. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक.—तहसील जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला बैतूल में गन्ने की रोपाई व श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, शाजापुर, सीहोर, मण्डला व कटनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला कटनी में फसल गेहूँ व डिण्डोरी में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, पन्ना, दमोह, रीवा, अनूपपुर, देवास, खरगोन, मण्डला में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर तथा मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2 जनवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) चना, गेहूँ, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		आलू समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) जवा अधिक. ज्वार, अरहर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		शेष समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ा मलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर, मटर, बटरी, आलू, प्याज,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अधिक. चना, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तुअर, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	. .		चना, राई-सरसों अलसी कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर कम. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.4		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	5.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	0.0				
4. पुष्पराजगढ़	9.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर , गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) अरहर, अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. बागद	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास : 1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. राणापुर 5. झाबुआ	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ अधिक. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला अलीराजपुर : 1. जोबट 2. अलीराजपुर 3. सोण्डवा 4. भामरा 5. कट्ठीवाड़ा 6. उदयगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला प. निमाड़ : 1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ने की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	गेहूँ फसल की बोनी का	4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कार्य चालू है.	जौ, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी एवं कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	16.6				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	0.5		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	0.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला शहडोल, बड़वानी, पूर्व निमाड़, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(195)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.